

महामाला अपर सिविल जज (सी० 50) प्रथम नारायणी

इस विषय प्रमाण उभार सिद्ध (30 प्र० मान्य सेवा)

दस्तावेज संख्या - 405 एन 2005

गणकुमारी बेका पत्नी श्रीजीनाथ उम्र करीब 60 वर्ष, फेरशा-भरसाही, गिरीवासी ग्राम मोहनपुर परगना कठगोवा तहसील विण्ड्या जिला वाराणसी।

बनाम

----- वादिनी

- 1. सीताराम पुत्र धरमन उम्र लगभग 65 वर्ष
- 2. फूलचन्द पुत्र भगोल उम्र करीब 55 वर्ष
- 3. बाबूलाल पुत्र देवनन्द उम्र करीब 62 वर्ष
- 4. शंकर पुत्र वैजनाथ उम्र करीब 32 वर्ष
- 5. बरदासी पुत्र रामदास उम्र करीब 60 वर्ष (सहज)

- 5/1 राजेन्द्र उम्र लगभग 38 वर्ष
- 5/2 पुनवासी उम्र लगभग 35 वर्ष
- 5/3 लखरानी उम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बरदासी
- 5/4 अणामप्यारी अलिग पुत्री स्वर्गीय बरदासी
- 5/5 शम्भुदारी अलिग पुत्री स्वर्गीय बरदासी

पुत्रगण स्वर्गीय बरदासी

सभी गिरीवासी ग्राम मोहनपुर परगना कठगोवा तहसील विण्ड्या जिला वाराणसी।

----- प्रतिवादीगण

निति

वादिनी ने पहचान विधान सभ्यता आशुकी संख्या 49 संख्या 16 अर्ध स्थित फौजा मोहनपुर परगना कठगोवा तहसील विण्ड्या जिला वाराणसी जिसका निष्पन्न वादपत्र के अन्त में दिया गया है एवं जिसे वाद पत्र के लम्बा नुस्खे के अनुसार अ, ब, ग, द एवं जाल तिरहें लकीरो के प्रसिद्ध किया गया है पर गिरीवासी के रोबेन एवं वादिनी के आविष्कृत कन्ठे कदकल के हस्तक्षेप काल के रोबेन के लिपि एवं स्वामी निवेद्यात्क व्योमोज की शक्ति हेतु प्रसिद्धीगण वैधिक प्रोचित किया है।

संक्षिप्त में वादपत्र के लम्बे इत प्रकार है कि श्रुत संख्या 49 संख्या 32 अर्ध स्थित फौजा मोहनपुर परगना कठगोवा तहसील विण्ड्या जिला वाराणसी शकल्य को लकीरो के कंजर भूमि के रूप में अकिन्तरी अर्ध गांव लम्बा व सरकार को जमीन थी। वादिनी अग्रहृति वादिनी

२

हैं और उनके परिषदी ग्रुप सर्वो है गयी है। इन्होंने उपजिलाधिकारी
 पिण्डर ने धारा 122(1) उपजिलाधिकारी विभाग अतिरिक्त के अधिकारी
 का प्रयोग करते हुए काराकी नम्बर 49 के आदेश रकबा दफ्तरी भाग यानी
 16 उपर का आवास आकंटन वाडिगी के एक के दिनांक 29-07-2000 को
 कर दिया जिसका आलदराफत रकबा की है दिनांक 25-08-2000 का
 है गाय / निवृत्त अति को वादपत्र के नमाना यानी है अक्षर क, व, ल, ड
 तथा व ल निरखी लकीरो से प्रदर्शित किया गया है। साधारण आकंटन के बाद
 वाडिगी अत पर अक्षर आकारी का प्रयोग दफ्तरी है और उनके उलकी बांटा की
 मोठी व ल निगत का गल लगा हुआ है। अतिरिक्त व अन्य लोगों ने
 दिनांक 29 अथवा आकंटन को निरस्त करने का अर्थात व ल जिलाधिकारी
 वाडिगी को धारा 122 सी (6) उपजिलाधिकारी विभाग अतिरिक्त
 अधिकारी के अन्तर्गत दिया था और अथवा जिलाधिकारी (प्रशासन)
 वाडिगी ने वाद सख्त 16/22/2004/2005 के पूरी जांच के
 उपरान्त वाडिगी के एक के अथवा आकंटन रकबा माना।
 अतिरिक्त वाडिगी के व्यक्तिगत रजिस्ट्रार रकबा है और उनसे वाडिगी
 से रकबा देनी शुरू की कि आकंटन रकबा कर लेगे दिनांक
 12-04-05 को अतिरिक्त व ल अथवा कर निवृत्त अति पर चढ गोप और
 निरिध हेतु गीव खोदे का प्रयास करने लगे परन्तु वाडिगी के अनुगत अति
 तथा गीव के लोगो के इकट्ठा होने व समझने से भाग गये, लेकिन
 वाडिगी देते हुए चले गये कि अतिरिक्त के आकर रकबा कर लेगे और
 वाडिगी को बेदखल कर देंगे। अतिरिक्त व ल को दे नही मान रहे हैं
 कतः वाडिगी पर चढ लगी है।

अतिरिक्त ने अपना अतिरिक्त 36 व प्रभु पर करण
 दिया है कि वाडिगी ने गलत रूप से आध्या पर अतिरिक्त को परे
 करे के लिए दावा दाखिल किया है। वाडिगी का विवादित दफ्तरी
 है कोई वाद-सरोकार नहीं है और न ही वाडिगी का कच्चा दफ्तरी
 है। विवादित काराकी नम्बर 49 रकबा 3.9 उपर गीव सभा की दफ्तरी
 है तथा सरकारी कामकाज के भी रकबा है और जिला उपप्रेम व
 उपगोम गीव के सभी लोक जितिया प्रजा, फलशिराति प्रजा व
 अन्य वाडिगी प्रजा के साथ-साथ अतिरिक्त प्रजा के वाडिगी

✓

कार्यकुशल, व्यापक पर जोड़े व्युत्पन्न से बहुत दिनों से करते
 व मंगले पर आ रहे हैं कि चाहे सम्पत्ति के अनुसार शिवाग्रि
 स्थित हैं, जिसके सावधानी नव गौं की सुविधा को ध्यान में रखते
 सुलभा हैं और जिसका उपयोग गौं कलोग कर रहे हैं आ रहे हैं।
 गौं के पर्याप्त रूप से निम्न के कार्य के अंतर्गत
 रूप देने के अन्तर्गत उनके धारण के रूप के लक्ष्य को गौं के
 अन्तर्गत रखने के गौं की प्राप्ति तथा गौं की गौं का सुलभा लक्ष्य की
 सुलभा निम्न के कार्य के अंतर्गत और गौं को ध्यान में रखते किन्ना
 से किन्ना है। गौं का आलीशान स्थान कला गौं का गौं के सुलभा के
 गौं का है किन्ना गौं निम्न करती है। इसके अलावा गौं के
 पालन का पर्याप्त पर्याप्त के अन्तर्गत व गौं की अन्तर्गत है।
 इस प्रकार गौं का आवाज आवाज की पालन की सेवा के गौं करती
 हैं और गौं की किन्ना किन्ना व अन्तर्गत के गौं का
 को प्रदर्शित कर किन्ना आवाज पर गौं का गौं का करती
 की किन्ना है। किन्ना आवाज के किन्ना के रूप गौं की
 का कोई का किन्ना नहीं है। किन्ना द्वारा गौं का आवाज आवाज
 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही गौं की ले कर किन्ना किन्ना दो गौं का आवाज
 आवाज की का किन्ना है किन्ना के रूप के प्रदर्शित देकर आवाज
 आवाज की कार्यवाही व प्रदर्शित पालने से सुलभा सुलभा किन्ना है। इसके
 पर सुलभा देवा है कि आवाज आवाज की कार्यवाही लक्ष्य प्रदर्शित की
 ध्यान देकर करती गौं है। गौं का किन्ना व सुलभा गौं की किन्ना के
 किन्ना आवाज के लक्ष्य तथा किन्ना करती व गौं के लक्ष्य के लक्ष्य
 पर आवाज किन्ना किन्ना पर है किन्ना किन्ना आवाज पर
 किन्ना गौं की गौं का किन्ना सुलभा गौं की किन्ना किन्ना
 है। गौं की व गौं के आवाज पर किन्ना को प्रदर्शित किन्ना
 है इसीलिए गौं का आवाज पर किन्ना के लक्ष्य तथा गौं का किन्ना
 के सुलभा के सुलभा है। गौं का सुलभा किन्ना किन्ना किन्ना
 और सुलभा को गौं की सुलभा का सुलभा किन्ना किन्ना किन्ना
 33। 30 प्रो किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना
 था 9 किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना किन्ना



न्यायालय द्वारा दिनांक 24-11-10 को सुनवाई हुई, जो उत्तर निम्नलिखित
शकल में इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वादविन्दु संख्या - 1 पृष्ठ 2

वाद विन्दु संख्या - 1 इस आदेश
का विरहित किया गया है कि क्या विवादित शक्ति किसे वादपक्ष के
अन्तर्गत स्थित जमिया जमाली में लाल निरुद्धी लकैरो के अधिकार में
है कारकी संख्या 49 रकबा 16 का अ-भाग है जो वादियों के उपस्थान
में स्वीकृत है, यदि हाँ तो प्रथम तथा वाद विन्दु संख्या - 2
इस आदेश का विरहित किया गया है कि क्या विवादित शक्ति कारकी
नम्बर 49 रकबा 16 उपर किसे वादपक्ष के अन्त में दिये गये जमिया
जमाली में लाल निरुद्धी लकैरो के अधिकार में है, वह सापेक्षिक उपयोगिता
की शक्ति है, यदि हाँ तो प्रथम। ये दोनों वादविन्दु संख्या - इन्तेरे
लकैरो के अन्त में एक सापेक्षिक शक्ति माने योग्य हैं।

निर्णय का अर्थ है कि इन्तेरे संख्या 49 रकबा उपर
स्थित जमिया मोहनपुर परगना कठगाना तहसील पिबरा जिला पाराणनी
स्थान बकिलेवा में बतार शक्ति के रूप में दबे हैं और अज्ञात जाति
की महिला के अन्त में उपस्थित पिबरा में कारकी संख्या 49
रकबा 16 उपर दसिगी का का अन्त में आकर वादियों के पक्ष में
दिनांक 24-07-2000 को कराया। विवादित शक्ति का वादपक्ष के अन्त में
जमाली में बतार अ, ब, स, द एवं लाल निरुद्धी लकैरो के अधिकार
में किया गया है, जिस पर वादियों का कारकी के रूप में अधिकार दायर है और
विवादित शक्ति में वादियों की कारकी को कोठी एवं लाल जमाली का गल
जमा हुआ है।

उक्त प्रतिक्रिया का अर्थ है कि विवादित कारकी नम्बर
49 रकबा 32 उपर गाँव सभ्य की सम्पत्ति है जिसका उपयोग न उपयोग
गाँव के सभी लोग कि प्रतिपाद्य है, महाशक्ति प्रदान व अन्य कारकी के
एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए करते हैं और करते चले आ रहे हैं।
विवादित सम्पत्ति पर चतुर्था शिवमन्दिर है तथा गल जमा हुआ है, जिसका
उपयोग व उपयोग समस्त लोग करते हैं। वादियों द्वारा पत्नी भावुक
कान्ठन शिव किया गया है और वादियों का कारकी का अन्त में पत्नी
की शक्ति में नहीं आती है तथा वादियों विवादित शक्ति पर अधिकार नहीं
है।

कारकी संख्या 105 नवल खली की जमिया मोहनपुर परगना कठगाना



तहसील पिछरा जिला चाराणसी वर्ष 1402-1407 फसली
 से जात होता है कि आरजी संख्या 49 क्षेत्रफल 0.032 हे० के साथ
 साथ अन्य आराजिपात भी वंजर शक्ति के रूप में दर्ज है तथा परगाणिकेवारी
 पिछरा के स्वीकृत आदेश दिनांक 29-02-2000 द्वारा श्री पराजमुहारी
 एवं श्रीमती वीरवती देवी को आरजी संख्या 49 क्षेत्रफल 0.032 हे० के
 आबाल हेतु शक्ति आवंटित की गयी है। नगर संख्या 11 ग नकल रख्य
 गाँव मोहनपुर परगाण कठगोवा तहसील पिछरा जिला चाराणसी वर्ष 1412
 फसली से जात होता है कि आरजी संख्या 49 क्षेत्रफल 0.032 हे० को
 आबाल/ परती शक्ति प्रदर्शित किया गया है। नगर संख्या 12 ग नकल रख्य
 गाँव मोहनपुर परगाण कठगोवा तहसील पिछरा जिला चाराणसी वर्ष 1408-1413 फसली
 से जात होता है कि आरजी संख्या 49 क्षेत्रफल 0.032 हे० के
 साथ-साथ अन्य आराजिपात को आबाली की शक्ति प्रदर्शित किया
 गया है। नगर संख्या 13 ग द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि
 गाँव मोहनपुर परगाण कठगोवा तहसील पिछरा जिला चाराणसी के
 आबाल स्वरु हेतु राजकुमारी एवं वीरवती देवी को आरजी संख्या 49
 में 0.016 हे० एवं 0.016 हे० शक्ति का रकबा आवंटित किया गया था।
 नगर संख्या 14 ग लक्ष्मण गिरिपि विभाजित 17-12-04 न्यायालय
 द्वारा जिलाधिकारी प्रशासन चाराणसी का संख्या 16/22 वर्ष
 2004-2005 अन्तर्गत द्वारा 122 मी (6) 30 प्र० जमीन्दारी विभाजित
 अधिनियम से जात होता है कि गाँव मोहनपुर व केंगाथ द्वारा
 विभाजित आरजी संख्या 49 हे० 0.032 हे० के आबाल आवंटन
 को पूर्णतः ही गयी थी और आबाल आवंटन आदेश दिनांक 29-07-2000
 को विधि विरुद्ध बलाप गाय था न्यायालय ने अपने निर्णय में यह
 यथा कि विवादित आरजी का आवंटन उप जिलाधिकारी द्वारा एक प्रेरणा
 से किया गया है। आवंटन शुद्ध आरजी के अर्थे आगूट देनी उपनिपाद्य
 पूर्ण अर्चना गाँव की महिलाएं पूर्व से करती चली आ रही हैं और शेष आये
 भाग पर 50 केलमी कोठी व जलनिगम का बल लगा हुआ है जो श्रीमती
 राजकुमारी का है। न्यायालय ने वीरवती देवी के पक्ष में आरजी संख्या
 49 रकबा 0.016 हे० का आवंटन वीरवती देवी के प्रार्थना पत्र के आधार
 पर निरस्त कर दिया और राजकुमारी के पक्ष में आरजी संख्या 49 क्षेत्रफल
 0.016 हे० पर किया गया आबाल आवंटन रद्द कर दिया। नगर संख्या 15 ग
 लक्ष्मण गिरिपि जिला न्यायालय के अन्तर्गत होता है कि आरजी संख्या 49 को अन्तर्गत

1

दस्तावेज संख्या दिनांक गणना है।

संख्या संख्या 39 का सारप्रतिनिधि निगरानी वादपत्र संख्या 75/05 न्यायलय अतिरिक्त आपुस्त प्रशासन कारागार से जात होता है कि उप किलाधिकारी प्रशासन के निर्दिष्ट दिनांक 17-12-04 के विरुद्ध प्रतिवादी का अपील न्यायिक न्याय निगरानी पोस्ट किया था, जिसके यदुपलब्ध, दीशक्ती आई के विरुद्ध वादपत्र गणना/ संख्या संख्या 41 का श्रीमती दीशक्ती के वादपत्र की प्रति है जो 3 नवंबर 2004 संख्या 16/22 वर्ष 2004-2005 के दिनांक निषेधागणना और अपील आवंटन निरस्त करने के आदेश की गयी थी। संख्या संख्या 42 का संश्लेष विवरण की विवरित मुद्दे के संख्या संख्या के साथ आया है। संख्या संख्या 43 का सारप्रति कोर्टा दिनांक 12-05-05 अपर आपुस्त प्रशासन कारागार से जात होता है कि अपर किलाधिकारी के आदेश दिनांक 17-12-04 के विरुद्ध अपर की गयी निगरानी के प्रशासनिक लम्ब-वली आदेशाचारित निषेधागणना है। संख्या संख्या 44 का नमूना दस्तावेज गणना है। संख्या संख्या 45 का प्रमाण अठमों किलाकारागणनी वर्ष 1996-1901 पत्रिका से जात होता है कि आदेश संख्या 10 संख्या 25 डि पर के आदेशाचारित का गणना है। आदेशाचारित है।

इस प्रकार परस्पर होता है कि उप किलाधिकारी विरुद्ध अपर वादिकी के पक्ष में आदेशाचारित 49 संख्या 0.016 है जो आदेशाचारित निषेधागणना और अपर किलाधिकारी प्रशासन द्वारा वादिकी के एक के निषेधागणना आदेशाचारित लंबे माना गया जिसके विरुद्ध अपर नवीनतम आदेशाचारित पर गयी है। यह भी स्पष्ट होता है कि आदेशाचारित संख्या 49 संख्या 0.032 है के आदेशाचारित अपर अपील आई के आदेशाचारित कार्यकेंद्र होता है और इसी आदेशाचारित के ही आदेशाचारित उपयोग देलाया जाता है।

वादिकी संख्या संख्या - 1 राजकुमार ने अपनी मुद्रा परीक्षा के अपने वादपत्र के कथनों को पुष्टि की है तथा विरुद्ध के कथन दिए हैं कि उसने जमीन देलें है, 3 नवंबर, 3 नवंबर के 20 साल हो गये। यह वादिकी के विरुद्ध अपर अपील गणना बना है यह अपर अपील के दिनांक पर अपील 26 नवंबर 12 साल के अपील हुआ। केवल अपील अपील हुआ है; दीशक्ती के पत्र के अपील का अपील नहीं हुआ था। अपर अपील प्रमाण ने दिषेधागणना इस पर कथन है कि अपर अपील अपील हुआ है। वादिकी संख्या संख्या - 2 अपर अपील ने अपर अपील के वादपत्र के

निस्तारण वाद किन्दु संख्या - 4

वाद किन्दु संख्या 4 दीवानी न्यायालय के न्यायाधीशों के श्रेयाधिकार के सम्बन्धित हैं। वाद किन्दु संख्या 3 के निष्कर्षों के अन्तर्गत निम्न वाद का प्रस्ताव है। अर्थात् न्यायालय को वाद की पुनर्वाही का अधिकार श्रेयाधिकार प्राप्त है। न्यायालय को अज्ञात वाद की पुनर्वाही का श्रेयाधिकार प्राप्त है। वादों में यह वाद विवादित आकांक्षी की श्रेयाधिकार श्रेयाधिकार निषेधाज्ञा हेतु प्रेषित किया है। वादों में न्यायालय अज्ञात वाद के विवादित श्रेयाधिकार प्रदान है। अज्ञात वाद में न्यायालय को श्रेयाधिकार प्राप्त है। अज्ञात वाद की पुनर्वाही श्रेयाधिकार श्रेयाधिकार है। न्यायालय यह प्राप्त है। यह वाद किन्दु संख्या 4 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद किन्दु संख्या - 5

वाद किन्दु संख्या 5 वाद के विवादित न्यायाधीशों के श्रेयाधिकार के सम्बन्धित हैं। अज्ञात वाद किन्दु संख्या 4 के निष्कर्षों के अन्तर्गत निम्न वाद का प्रस्ताव है। अर्थात् न्यायालय को वाद की पुनर्वाही का अधिकार श्रेयाधिकार प्राप्त है। अज्ञात वाद में न्यायालय को श्रेयाधिकार प्राप्त है। अज्ञात वाद की पुनर्वाही श्रेयाधिकार श्रेयाधिकार है। न्यायालय यह प्राप्त है। यह वाद किन्दु संख्या 5 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद किन्दु संख्या - 6

वाद किन्दु संख्या 6 अज्ञात वाद के सम्बन्धित हैं। वाद किन्दु संख्या 1 व 2 के निष्कर्षों के अन्तर्गत निम्न वाद का प्रस्ताव है। अर्थात् न्यायालय को वाद की पुनर्वाही का अधिकार श्रेयाधिकार प्राप्त है। अज्ञात वाद में न्यायालय को श्रेयाधिकार प्राप्त है। अज्ञात वाद की पुनर्वाही श्रेयाधिकार श्रेयाधिकार है। न्यायालय यह प्राप्त है। यह वाद किन्दु संख्या 6 निस्तारित किया जाता है।

(10)

हेतु नहीं दिया जा रहा है। प्रतिवादी को कोई अधिकाधिक पत्र
दिए जाने पर वादी के साक्षिक पत्रों को हटाने के हतियार
हैं; वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अपनी निवेद्यात्मक अडवोकेट
जाने की अधिकाधिक है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वादी अपना कोई अधिकाधिक
के विरुद्ध साक्षिक पत्रों को हटाने के हतियार हैं और यह सत्य आवाप्त होने
शक्य है।

आदेश

वादी का यह प्रतिवादी के विरुद्ध सत्य आवाप्तियाँ
है प्रतिवादी को इस साक्षिक निवेद्यात्मक आदेश को निवेद्यात्मक
दिया जाये कि वह किम लिक्विड प्रॉपर्टी अर्थात् उक्त
विदाहित आयुक्त सत्यां 49 खका 16 स्पट रिफर पीका मोहनपुर
परगत वादी के तहसील दिग्गज जिला चण्डीगढ़, विभागाधिकार
वादी के अंत में अक्षर अ. ब. ल. क. ले. स. ल. ल. लिखी
तमीय के प्रदर्शित किया गया है, पर वादी के साक्षिक पत्रों
को हटाने के हतियार न करें।

दिनांक-09-04-19

Bhawanji
09/04/19
प्रशासक अंतर विहं

अपर विजिल लज (सी.डी.) प्रमद

वादी

आदेश निर्णय के अंत में वादी के हतियार एवं
दिनांक 09-04-19

दिनांक 09-04-19

Bhawanji
09/04/19
प्रशासक अंतर विहं

अपर विजिल लज (सी.डी.) प्रमद

वादी

Self Attested
Bhawanji
Sec. D.L.S.A.